

विश्वभारती

अधिसूचना

यूजीसी, भारत सरकार के सचिव के दिनांक 12/04/2023 के अर्ध शासकीय पत्र सं एफ. 1-13/2022 (सी पी पी - II) के अनुपालन में, 11 अप्रैल, 2023 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित यूजीसी (आरजीएस) विनियम, 2023 के अनुसार, छात्रों की शिकायतों का निपटान करने के लिए विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने एसजीआरसी का गठन किया है। यह यूजीसी विनियम 2023 में निर्दिष्ट छात्रों की शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्काल प्रभाव से सक्रिय है। इसमें विश्वविद्यालय के निम्नलिखित सदस्य और 'लोकपाल' शामिल हैं।

छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) :

1. प्रो. बिपासा राहा, प्रिंसिपल, विद्या भवन – अध्यक्ष
2. प्रो. अरबिंद मंडल, प्रिंसिपल, पल्ली संगठन विभाग
3. प्रो. सुमंत मंडल, प्रिंसिपल, विनय भवन
4. प्रो. अभिजीत बनर्जी, अध्यक्ष, चीना विभाग, भाषा भवन
5. प्रो. गौतम ब्रह्मचारी, अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, शिक्षा भवन
6. डॉ. भोलानाथ मंडल, नोडल अधिकारी, यूजीसी छात्र शिकायत पोर्टल
7. श्री कोईरोबी बनर्जी, इतिहास विभाग का छात्र, एम. ए. (I), सेमे. – II – विशेष आमंत्रित

लोकपाल : प्रो. निर्मल्या बनर्जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विश्वभारती

सं. आरईजी/अधि./156/100/2023-24

दिनांक: 07/08/2023

हस्ता/-

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

सेवा में,

अध्यक्ष, सदस्य, लोकपाल एवं विशेष आमंत्रित व्यक्ति

प्रतिलिपि :

1. भवन/विभाग के निदेशक एवं प्रिंसिपल
2. अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग/केंद्र/अनुभाग/कार्यालय के प्रधान
3. प्रभारी, सुरक्षा
4. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
5. कुलसचिव के निजी सहायक
6. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।
7. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।